अति महत्वपूर्ण

संख्या–4587 /नौ–1–11–119रिट /2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2011

विषयः **स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबंधन हेतु व्यवस्था।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–4580/9–1–11–119रिट/2011 दिनांक 17.12.11 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0–8/2018/11 दिनांक 20.12.2011 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों जहॉ खातों का संचालन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है, वहां अध्यक्ष के न रहने पर खातों के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में निकायों पर प्रभावी यू.पी. म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स रूल्स के नियम–5ए के अन्तर्गत खातों का संचालन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 11226/2011 संदीप उर्फ संदीप महरोत्रा व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्ध रिट याचिकाओं में मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2011 को आदेश पारित किया गया। मा0न्यायालय के आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है :

1. Subject to aforesaid direction and finding, these writ petitions are allowed to the extent above. The impugned amendment under Act No.23 of 2005 is declared ultra vires to the Constitution, illegal, inoperative and void with all consequences. The impugned amendment under Act No.38/2006 under Section 1-A to the extent of interpretation of first meeting is also declared ultra vires, unconstitutional, illegal and void with consequential benefits.

2. A writ in the nature of mandamus is issued directing the State of Uttar Pradesh to complete all necessary formalities by round the clock working within a period of 10 days or maximum by 18.12.2011. Let a notification be issued on or before 19.12.2011 and submit a compliance report to